

14

11.05.18

वकील अपीलान्ट या स्वयं अपीलान्ट कोई उपस्थित
 नहीं है। अपी. को बार-बार आवाजें दिलाई
 गई। अपी. की आर. से कोई उपस्थित
 नहीं आया। अतः अपील अपीलान्ट
 अदम हाजरी व अदम फरवी में खारिज
 की जाती है। पत्रावली फंसल शुमार होकर
 बाद वक़ील जावता होलियल इफ़्तार हो। ✓

6

संभागीय आयुक्त
 भरतपुर संभाग, भरतपुर